न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

:---- 3 अपीलें :-----

पहली अपील :–

अपील संख्या :– 3/18 (61/10, 60/13) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. प्रभू पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

2. श्रवण पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

3. ओमप्रकाश पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

4. रामगोपाल पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

5. सन्तोष पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण निवासीयान ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर

:-----अप्रार्थीगण/अपीलांट

बनाम

1 सूरजमल कथित दत्तक पुत्र रिछपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर

:--- प्रार्थी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, अलवर
दिनांक 26.7.2010

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री नवनीत तिवाडी

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. वकील रेस्पो0 :– श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

दूसरी अपील

अपील संख्या :– 4/18 (88/10, 61/13) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सूरजमल दत्तक पुत्र पुत्र रिछपाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रार्थी अपीलांट

बनाम

1 प्रभू पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण
2 श्रवण पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण
3 ओमप्रकाश पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण
4 रामगोपाल पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण
5 सन्तोष पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण
निवासीयान ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

:----- अप्रार्थी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, अलवर

दिनांक 26.7.2010

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

2. वकील रेस्पो0 :– श्री नवनीत तिवाडी

तीसरी अपील:–

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 8/18 (60/10, 59/13) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. प्रभू पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

2. श्रवण पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

3. ओमप्रकाश पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

4. रामगोपाल पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

5. सन्तोष पुत्र बदरी कौम बागडा ब्राहमण

:----- प्रार्थीगण/अपीलांटस

बनाम

1 सूरजमल कथित दत्तक पुत्र रिछपाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

:--- अप्रार्थी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, अलवर
दिनांक 26.7.2010

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री नवनीत तिवाडी

2. वकील रेस्पो0 :– श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

निर्णय दिनांक 23.12.2019

---

1 उपरोक्त तीनों अपीलों के पक्षकार, विवादित आराजी एक समान है तथा तथ्य भी एक समान है और एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत की गई है । इसलिये इन अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 2/11 उनवान सूरजमल बनाम प्रभू,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2/9 उनवान प्रभू बनाम सूरजमल, 2/10 उनवान प्रभू बनाम सूरजमल तथा 2/8 सूरजमल बनाम प्रभू प्रस्तुत हुये थे । प्रार्थना पत्र संख्या 2/11 में प्रार्थी सूरजमल नि निवेदन किया कि प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार है । विवादित आराजी का पूर्व में रिछपाल पुत्र घासी खातेदार था, जिसका देहान्त हो चुका है । प्रार्थी वादी रिछपाल का दत्तक पुत्र है और विवादित आराजी प्रार्थी को विरासत में मिली है । राजस्व रिकार्ड हाल में प्रार्थी वादी खातेदार दर्ज है । तथा आराजी खसरा नम्बर 118/4 में प्रार्थी ने छप्पर वगैरा बना रखा है । प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण प्रार्थी वादी के सगे भाई है । लेकिन वो प्रार्थी से रंजिश रखते हैं । आराजी में मजाहमत करते हैं । प्रतिवादीगण ने राजीनामा भी लिख कर दे दिया था, लेकिन वो राजीनामा से पाबन्द नहीं हो रहे हैं । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । इसी दौरान प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2/09 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत करते हुये जवाब दावा प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि प्रतिवादीगण एवं वादी सगे भाई है । जो कि बदरी प्रसाद के पुत्र हैं । वादी सबसे बडा पुत्र है । हमारे पिता बदरी एवं रिछपाल दोनों सगे भाई थे । रिछपाल अविवाहित था । जिसने वादी को कभी गोद नहीं लिया । इसलिये रिछपाल की विरासत सभी वारिसों में दर्ज हो गई । परन्तु वादी ने चालाकी से रिछपाल से गोदनामा लिखवा लिया और उसके आधार पर विवादित आराजी दर्ज करा ली । जबकि गोदनामा में गोद जाने वाला व्यक्ति नाबालिग और अविवाहित होना चाहिये । जबकि वादी सूरजमल 35 वर्ष का था और विवाहित था । गोदनामा फर्जी है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 13 बिस्वा, 42/4 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 118/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 42 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हरनेर से जबरन बेदख लना करें । इसके बाद पुनः प्रतिवादीगण प्रार्थीगणकी ओर से प्रार्थना पत्र संख्या 2/10 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विवाति आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 13 बिस्वा, 42/4 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 118/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 42 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हरनेर का रहन, बय, हिबा या अन्य किसी प्रकार से दीगर लोगों को मुन्तकिल नहीं किया जावे । इसके बाद पुनः वादी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2/8 अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

मू-[illegible]
राजस्व अपील अधिकारी, [illegible]

प्रार्थी द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र हुकम इम्तनाई दवामी का प्रस्तुत किया हुआ है । जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया हुआ है । इसके बावजूद भी वे बाज नहीं आ रहे हैं । आराजी पर खून खराबा होने का अन्देशा है और आराजी का खुर्दबुर्द करने पर प्रतिवादीगण आमदा है । अतः विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । इन चारों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहत अदालत द्वारा बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.7.2010 द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2/11 उनवान सूरजमल बनाम प्रभू स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वो विवादित आराजी पर प्रार्थी वादी सूरजमल के कब्जे काश्त रूकावट व मजाहमत ना करें । जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण प्रभू वगैरा ने अपील संख्या 8/18 (60/10, 59/13) प्रस्तुत की है । अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2/9 उनवान प्रभू वगैरा बनाम सूरजमल तथा 2/10 प्रभू वगैरा बनाम सूरजमल खारिज किया है, जिसके खिलाफ प्रतिवादीगण प्रभू वगैरा द्वारा अपील संख्या 3/18 (61/10, 60/13) प्रस्तुत की है । इसी प्रकार प्रार्थना पत्र संख्या 2/8 उनवान सूरजमल बनाम प्रभू वगैरा बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर खारिज किया गया था, जिसकी अपील सूरजमल ने अपील संख्या 4/18 (88/10, 60/13) प्रस्तुत की है ।

3 प्रस्तुत इन अपीलों में पक्षकार प्रभू वगैरा के विद्वान वकील श्री नवनीत तिवाडी को वकील अपीलांट से तथा पक्षकार सूरजमल के विद्वान वकील श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल को वकील रेस्पो0 से सम्बोधित किया जा रहा है ।

4 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मेरी दो अपीलें अपील संख्या 3/18 व 8/18 उनवान प्रभू वगैरा बनाम सूरजमल है । वादी सूरजमल ने तहत अदालत में धारा 188 आर0 टी0 एक्ट का दावा प्रस्तुत किया था । उसका मैंने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया और उसके साथ धारा 212 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये । तथ्य इस प्रकार है कि हम पक्षकारान सगे भाई है । हमारे पिता बदरी प्रसाद और रिछपाल भी दोनों सगे भाई थे । रिछपाल अविवाहित फौत हो गया था । जिसके हम पक्षकारान वारिस है और हम सबमें विरासत दर्ज हो गई । परन्तु वादी प्रार्थी सूरजमल ने चालाकी से फर्जी अविधिक गोदनामा अपने पक्ष में दर्ज करा लिया । उस गोदनामा के आधार पर सूरजमल ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

विवादित आराजी अपने नाम करा ली । उस गोदनामा को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज भी कर दिया गया था । यधपित इसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में हो गई है और जिला जज के निर्णय की कियान्विति पर रोक लगा दी है । सूरजमल ने प्राकृतिक पिता बदरी की आराजी में से भी 1/6 हिस्से ले लिया और रिछपाल की आराजी सालिम भी अविधिक गोदनामा के आधार पर ले ली । गोद जाने वाला व्यक्ति कानूनन नाबालिग और अविवाहित होना चाहिये । परन्तु सूरजमल 35 वर्ष का था और विवाहित था । जब गोदनामा सिविल न्यायालय से निरस्त हो चुका है तो उसके आधार पर दर्ज इंतकाल भी निरस्त हो गया । ऐसी स्थिति में सूरजमल विवादित आराजी का खातेदार नहीं रहा । इसलिये उसे धारा 188 आर0 टी0 एक्ट का दावा लाने का अधिकार नहीं है । विवादित आराजी पर सभी पक्षकारान का कब्जा है । मैंने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के तहत मेरे पक्ष में अदालत हाजा में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं । प्रत्येक वर्ष हम फसल बोते हैं तो सूरजमल हमारे खिलाफ धारा 379 आई0 पी0 सी0 मुकदमा दर्ज कराते हैं । एम0 जे0 एम0 कोर्ट थानागाजी से इनकी प्रोटेक्ट खारिज हुई है । इसकी रिवीजन भी ए0डी0जे0 कोर्ट से खारिज हुई है और इनका कब्जा नहीं माना है । इन सब तथ्यों से हमारे कब्जे की ताईद होती है । विद्वान तहत अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि गोदनामा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वर्तमान में गोदनामा खारिज हो चुका है । और विवादित आराजी पर हमारा कब्जा है । ऐसी स्थिति में टी0 आई0 की आड में एक कब्जेधारी को पाबन्द नहीं किया जा सकता । अतः निवेदन है कि तहत अदालत द्वारा सूरजमल की जो टी0 आई0 स्वीकार की है, उसे खारिज किया जावे । जहां तक रिसीवर कायम करने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि रिसीवर वहां नियुक्त किया जाता है, जहां काश्त करना सम्भव नहीं है, सम्पत्ति को लेकर झगडा फसाद हो रहा है । साल 2007 में दोनों पक्षों में झगडा हुआ था । उसमें धारा 307 में सजा हुई । वर्तमान में ना तो कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज है और ना ही धारा 323, 341 का कोई मुकदमा दर्ज है ना कोई मर्डर हुआ है तो ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । अतः निवेदन है कि मेरी दोनों अपीलें बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

स्वीकार की जावे और इनकी अपील बाबत निरस्त किया जाकर रिवीजन खारिज की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि सर्वप्रथम गोदनामा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि दिनांक 12.11.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला जज के निर्णय की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी । परन्तु बाद में दोनों पक्षों को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.12.2018 को अंतिम निर्णय तक जिला जज के निर्णय को पुष्ट कर दिया । इस प्रकार गोदनामा के आधार पर मेरे पक्ष में जो खातेदारी दर्ज हुई थी, वह यथावत रह गई । इस प्रकार जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान में मैं विवादित आराजी का खातेदार हूं । इसलिये मुझे धारा 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत रिलीफ पाने का अधिकार है । इनकी अदालत हाजा में दो अपीले है - एक तो मेरे पक्ष में जो टी0 आई0 जारी हुई थी, उसकी अपील तथा दूसरी अपील, इनकी टी0 आई0 का प्रार्थना पत्र खारिज किया, उसकी । इनकी दोनों अपीलों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैं विवादित भूमि रिकार्डेड खातेदार हूं । काबिज हूं । परन्तु ये लोग मेरे कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है । इसलिये तहत अदालत ने मेरे पक्ष में सही तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है । कानूनन एक रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में टी0 आई0 जारी की जाती है । जैसा कि 1993 आर0 आर0 डी0 पेज 443, 1971 आर0 आर0 डी0 पेज 45 में अभिनिर्धारित किया गया है । इन्होंने भी तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुझे पाबन्द कराना चाहा, परन्तु इनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, क्योंकि ना तो ये विवादित भूमि के खातेदार है और ना ही इनका कब्जा है । मै रिकार्डेड खातेदार हूं और काबिज हूं । कानूनन एक रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती, जैसा कि 1984 आर0 आर0 डी0 पेज 492, 2013 (1) आर0 आर0 डी0 पेज 123, 2009 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1398, 2006 (2) आर0 आर0 डी0 पेज 1410, 2016 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1323 में अभिनिर्धारित किया गया है । इनका कहना है कि मैंने प्राकृतिक पिता की भूमि में भी हिस्सा ले लिया और दत्तक पिता की सम्पत्ति में भी हिस्सा ले लिया, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारा प्राकृतिक पिता बदरी पहले फौत हो गया था, इसलिये पटवारी ने हम सभी भाईयों के नाम विरासत दर्ज कर दी । जबकि बदरी की भूमि पर मेरा कब्जा

27/11

भू प्रबन्ध अधि[illegible]

नहीं है । यदि मेरा नाम बदरी की विरासत दर्ज हुई है, उसे दावे में कथन करें । मेरा टाईटल मेरे दत्तक पिता रिछपाल की भूमि को लेकर है । मैं उस भूमि का रिकार्डेड खातेदार हूं और काबिज हूं । यह भूमि गोदनामा के आधार पर मेरे नाम आई है । जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से गोदनामा के सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक यही माना जावेगा कि गोदनामा सही है । मैंने तहत अदालत में रिसीवर नियुक्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध खारिज कर दिया गया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैं विवादित भूमि रिकार्डेड खातेदार हूं । लेकिन ये लोग आये दिन विवादित भूमि को लेकर झगडा फसाद करते हैं । काफी मुकदमे भी दर्ज हुये हैं । इनके खिलाफ चालान भी प्रस्तुत हुये हैं । जहां कब्जे का हनन हो, झगडा फसाद हो, खून खराबे का अन्देशा हो, वहां रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिये । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर मेरा प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवन खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि इनकी दोनों अपीलें खारिज की जावे तथा मेरी अपील बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर स्वीकार की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने रिसीवरी के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 2003 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1101, 2003 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1216, 2008 आर0 बी0 जे0 पेज 184, 1995 आर0 आर0 डी0 पेज 321 का हवाला दिया ।

6 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि इन्होंने आज तक इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया कि बदरी के वारिसों में से इनका नाम हटा दिया जावे । हम पक्षकारान के मध्य आपस में धारा 307, 323 व 341 के तहत मुकदमे चले । धारा 307 में इनको सजा हुई है और धारा 323 व 341 में हमको बरी कर दिया गया । वर्तमान में हम विवादित आराजी पर काबिज है । इनका कब्जा नहीं है । इसलिये हम टी0 आई0 पाने के अधिकारी है और ये ना तो टी0 आई0 पाने के अधिकारी है और ना ही रिसीवर नियुक्त कराने के अधिकारी है ।

7 विद्वान वकील रेस्पो0 का पुनः कहना है कि मैंने मेरे पक्ष में तहत अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं । साथ ही अपील हाजा में भी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं । इन्होंने मेरे पक्ष में राजीनामा भी लिख कर दे दिया था, जिससे ये पाबन्द है । परन्तु अब इनके मन में बदनियती आ गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

8 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम अपील संख्या 3/18 (61/10, 60/13) उनवान प्रभू बनाम सूरजमल वगैरा तथा अपील संख्या 8/18 (60/10, 59/13) पर गौर किया, जो कि अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में है । जिनके सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट प्रभू वगैरा का कहना है कि तथाकथित गोदनामा को न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है, ऐसी स्थिति में रेस्पो0 सूरजमल खातेदार नहीं रहा, ना ही उसका कब्जा है, इसलिये वह अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकार नहीं है, विवादित आराजी पर अपीलांटस प्रभू वगैरा काबिज है, इसलिये वे अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं । इसके विपरीत रेस्पो0 सूरजमल का कहना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला सत्र न्यायाधीश के निर्णय पर उच्च न्यायालय की रिट के अंतिम निर्णय तक कियान्विति पर रोक लगा दी है, इसलिये वर्तमान में गोदनामा फोर्स में है और उस गोदनामा के आधार पर रेस्पो0 सूरजमल विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार और काबिज है, इसलिये वह अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है, अपीलांट प्रभू वगैरा अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है । उभयपक्षों के तर्कों के सम्बन्ध में हमने पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अनुसार रेस्पो0 सूरजमल विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है । यह आराजी सूरजमल को रिछपाल का दत्तक पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई है । हालांकि माननीय जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा सूरजमल के पक्ष में निष्पादित गोदनामा को कैंसिल कर दिया गया है, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट के अंतिम निर्णय तक माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के उक्त निर्णय की कियान्विति पर रोक लगा दी है । ऐसी स्थिति में यही माना जावेगा कि गोदनामा को कैंसिल करने का अभी अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है ।

9 चूंकि रेस्पो0 सूरजमल विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है और काबिज है । ऐसी स्थिति में धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन और नापूर्तिजनक क्षति उसके पक्ष में साबित है । एक रिकार्डेड खातेदार टी0 आई0 पाने का अधिकारी है, जैसा कि विद्वान वकील रेस्पो0 सूरजमल द्वारा प्रस्तुत नजीरों 1993 आर0 आर0 डी0 पेज 443, 1971 आर0 आर0 डी0 पेज 45 में अभिनिर्धारित किया गया है । इसलिये रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

सूरजमल के पक्ष मे तहत अदालत द्वारा राही तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने वादी रेस्पो0 सूरजमल के पक्ष में मजाहमत नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जो कि परिपूर्ण प्रतीत नहीं होती है । क्योंकि दौराने वाद पक्ष विशेष द्वारा आराजी का हस्तांतरण किया जा सकता है, जिससे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक लिटिगेशन बढने की सम्भावना हो सकती है । ऐसी स्थिति में हम दोनों ही पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । जहां तक अपीलांट प्रभू वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पाने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा का विनम्र मत है कि अपीलांट प्रभू वगैरा विवादित भूमि काबिज खातेदार नहीं है । बल्कि सूरजमल काबिज खातेदार है । वह काबिज खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 पाने का अधिकारी नहीं है, जैसा कि विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीरों 1982 आर0 आर0 डी0 पेज 492, 2013 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 123, 2009 (2) आर0 टी0 एक्ट पेज 1398, 2006 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1410, 2016 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1323, 1984 आर0 आर0 डी0 पेज 892 में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । अतः ऐसी स्थिति में विद्वान तहत अदालत द्वारा अपीलांट प्रभू का जो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, उसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील संख्या 3/18 (61/10, 60/13) तथा 8/18 (60/10, 59/13) खारिज किये जाने योग्य है ।

10 इसके पश्चात अपील संख्या 4/18 (88/10, 61/13) बाबत नियुक्त किये जाने प्रापक पर गौर किया । इसके सम्बन्ध में विद्वान वकील रेस्पो0 (इस अपील का अपीलांट) सूरजमल का कथन है कि वह विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज है, विवादित भूमि को लेकर कई बार अपीलांट (इस अपील के रेस्पो0) प्रभू वगैरा झगडा फसाद कर चुके है, पक्षकारान में धारा 307, 323, 341 आई0 पी0 सी0 में मुकदमे दर्ज हुये है, इसलिये रिसीवर नियुक्त किया जावे । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया । साथ ही धारा 212 (2) में उल्लेखित प्रावधानों का अवलोकन किया, जिसमें प्रावधान किया गया है कि :– एक रिसीवर की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है, जब सम्पत्ति अधर झूल में हो और न्यायालय को स्वयं अपने समक्ष

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आई साक्ष्य के आधार यह समाधान करना होगा कि किसी भी पक्षकार का विवादित भूमि पर विधिपूर्ण एवं अविवादित कब्जा नहीं है । इस प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी को लेकर ना तो वर्तमान में पक्षकारान के मध्य खून खराबा होने का अन्देशा है और ना ही विवादित आराजी इन मीडियो प्रोपर्टी साबित है । प्रापक नियुक्त करना एक कठोरतम उपचार (हार्डेस्ट रैमेडी) है और ऐसे मामलों में शक्ति का प्रयोग अत्यन्त सावधानी और सचेतनता के साथ करना होता है । साधारणतया इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब विवादित आराजी इन मीडियो प्रोपर्टी साबित हो और अस्थाई व्यादेश को पर्याप्त नहीं समझा जावे । प्रस्तुत प्रकरणों में प्रार्थी रेस्पो0 (इस अपील का अपीलांट) सूरजमल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है तथा विवादित आराजी इन मीडियो प्रोपर्टी साबित नहीं है और ना ही पक्षकारान के मध्य किसी खून खराबे की आशंका है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी सूरजमल प्रापक नियुक्त कराने का अधिकारी नहीं है । विद्वान तहत अदालत द्वारा उसका प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने प्रापक सही तौर पर खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा यह अपील भी खारिज किये जाने योग्य है ।

11 अतः आदेश है कि हर तीनों अपीले अपील संख्या 3/18 (61/10, 60/13), 4/18 (88/10, 61/13) तथा 8/18 (60/10, 59/13) खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.7.2010 यथावत रखे जाते हैं । साथ ही दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वो मूल वाद के निर्णय तक प्रकरण में वर्णित विवादित आराजीयात का बेचान नहीं करें । विवादित आराजी को बैंक में रहन रखना, लोन प्राप्त करना, विधुत कनेक्शन लेना, उपयोग उपभोग सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने के लिये उभयपक्ष स्वतंत्र रहेंगे ।

12 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर